

नगर पंचायत, कोआथ (रोहतास)

पत्रांक...../दि०,

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कोआथ, रोहतास।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परिक्षा)
बिहार, पटना।

सासाराम/दिनांक.....

विषय :- अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-711/07-08 का अनुपालन प्रतिवेदन का साक्ष्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- सरकार के उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-221/न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-11.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नगर पंचायत, कोआथ का अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-711/07-08 के 23 कंडिकाओं का प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ संलग्न कर निरस्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को सेवा में भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन,

६०/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कोआथ, रोहतास।

ज्ञापांक-३२ दिनांक-२५.१.१६

प्रतिलिपि :- उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-221/न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-11.01.2016 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-जिला स्तरीय समिति, रोहतास, सासाराम को भवदीय पत्रांक-78/पं०, दिनांक-15.01.2016 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

२५-१-१६

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कोआथ, रोहतास।

नगर पंचायत कोआथ (रोहतास)

- 1 लेखा परिक्षक द्वारा विलोपित ।
- 2 लेखा परिक्षक द्वारा विलोपित ।
- 3 सभी रजिस्टर अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी।
- 4 लेखा परिक्षक द्वारा विलोपित ।
- 5 जरूरी कदम उठाई जायेगी एवं अगली अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6 लेखा परिक्षक द्वारा विलोपित ।
- 7 लेखा परिक्षक द्वारा विलोपित ।
- 8 (I) अगली बार से पुर्व विवरण के साथ कैश बुक तैयार किया जायेगा।
(II) अगली बार से भूल सुधार लिया जायेगा।
(III) अगली बार से भूल सुधार लिया जायेगा।
- 9 दिनांक 01.01.2001 से 31.12 2006 तक का छाया प्रति सलंगन है।
- 10 दिनांक 28.12.2012 को PL Account खोल दिया गया है।
- 11 11384 रू0 Misc Reports No 72,73,74,75,76 द्वारा 19.12.07 को जमा कर दिया गया है।
- 12 7800 खर्च हुआ है। (छाया प्रति सलंगन)
- 13 रसीद न0 301 से 400 भूल गया है। रसीद न0 339 तक की रसीद कर चुकी है जिसे कैश बुक में अंकित है तथा अंकेक्षण दल को दिखा भी दिया है। अगली बार इस प्रकार की गलती नही होगी।
- 14 तहसीलदार के नही रहने के कारण मकान कर इत्यादि की वसूली बहुत ही कम है कर बढ़ाने हेतु करवाई की जा रही है।
(I) स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस की राशि मुनिस्पिल कोष में होने पर सरकार को जमा कर दी जायेगी।
(II) मकान सर्वे की करवाई चल रही है।
(III) भ्यावह व्यापार शूल्क बढ़ाने की करवाई चल रही है।
(IV) गाड़ी, जानवर इत्यादी पर टैक्स लगाने हेतु करवाई चल रही है।
- 15 कैश बुक में 513265.00 रू0 दर्ज है, परन्तु अनुदान रजिस्टर में अज्ञान्ता के कारण दर्ज नही किया जा सका। (कैश बुक एवं अनुदान रजिस्टर की छाया प्रति सलंगन) भविष्य इस प्रकार की गलती नही होगी।
- 16 (I) बीस (20) योजनाय पुर्ण हो चुँकी है। (छाया प्रति सलंगन)
(II) 12898.00 रू0 MISC. रसीद न0 77 द्वारा जमा कर दी गई है। (छाया प्रति सलंगन)

- 17 736621.00 रू0 खर्च हो चुका है। (छाया प्रति सलंगन)
- 18 सभी योजनाये पुर्ण हो गई हैं।
- (1) योजना संख्या 2/6-7 पुर्ण हो गई है। तथा 37500.00 अभिकर्ता श्वेता देवी को भूगतान कर दी गई है। गरीबों के घर के लिए राशि समिति कोष में है। (छाया प्रति सलंगन)
- 19 SJSRY (स्वर्ण ज्यन्ति शहरी रोजगार योजना) की सभी योजनाए पुर्ण हो चुकी है। परन्तु अज्ञान्ता एवं भुल के कारण स्टौक रजिस्टर में अंकित नहीं है। भविष्य में अनुपालन की जायेगी।
- 20 (I) 425000.00 रू0 राशि खर्च हो चुकी है। (छाया प्रति सलंगन)
- (II) 25000.00 रू0 मुन्चिसिपल कोष में है।
- 21 61081.00 + 61081.00 रू0 ऋण रजिस्टर में अंकित है परन्तु खर्च का ब्यौरा ऋण रजिस्टर में नहीं है। भवीष्य मे सुधार कर लिया जायेगा (कैश बुक एवं ऋण रजिस्टर का छाया प्रति सलंगन)
- 22 कनिय अभियंता ने एम बी0 मे जो राशि दिया उसी आधार पर भूगतान की गई है। रायॉल्टी एवं वैट का एम बी0 में उलेख नहीं है। (योजना का छाया प्रति सलंगन)
- 23 कनिय अभियंता ने जो एम बी0 मे राशी दिखाया है। उसी के आधार पर भुगतान किया गया है। 3794.00 रू0 का रायाल्टी नहीं काटा है। (योजना का छाया प्रति सलंगन)
- 24 बाजार का 3 प्रतिशत स्टाम डियुटी अज्ञान्ता के कारण नहीं कटा है। अंकेक्षण अपत्ति के बाद 3 प्रतिशत स्टाम डियुटी ली जा रही है।
- 25 कर्मचारीयों का पी0 एफ0 नहीं काटी गई थी अंकेक्षण के बाद काटी जायेगी।
- 26 272243.00 रू0 का समायोजन कर लिया गया है। (छाया प्रति सलंगन)
- 27 258980.00 का समायोजन कर लिया गया है। (छाया प्रति सलंगन)
- 28 लेखा परिक्षक द्वारा विलोपित।
- 29 (I) इसका उत्तर पारा 24 मे देखा जा सकता है।
- (II) पारा 11 - जामा किया गया है। (छाया प्रति सलंगन)
- (III) राशि जामा कर दी गई है। पारा 16 (II) मे देखा जा सकता है।
- (IV) पारा 23 (I) मे देखा जा सकता है।
- (V) पारा 22 मे देखा जा सकता है।
- 30 लेखा परिक्षक द्वारा विलोपित।

नोट:- नगर पंचायत कोडिंग के कौडि की श्रेक में प्रस्ताव क्र 03 दिनांक 21.4.15 द्वारा अंकेक्षण अपत्ति 711/6-7 को विलोपित किया गया है।

21.4.16
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, कोआथ
(सेक्रेटरी)